न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 31 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 02.11.2020

1—गणपत पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी केरिया तहसील मालुपरा जिला टोंक राज0
2—गणेश पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी केरिया तहसील मालुपरा जिला टोंक राज0
3—रामेश्वर पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी केरिया तहसील मालुपरा जिला टोंक राज0
4—रामजीवन पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी केरिया तहसील मालुपरा जिला टोंक राज0
5—दिनेश पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी केरिया तहसील मालुपरा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 03.09.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय — दिनांक 12.03.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम केरिया पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया और नही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट को पूर्व मे उक्त भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध मे कोई सक्षम साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये है। जिससे [illegible] अतिक्रमण साबित होता हो। उपरोक्त आराजी पर वर्तमान मे अपीलांट द्वारा [illegible] हटा लिया है और मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:33:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलांट का कब्जा नही है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम केरिया तहसील मालपुरा पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जे के संबंध मे तहसीलदार मालपुरा से जांच करवाने पर तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र कमांक 3325 दिनांक 31.12.2020 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम केरिया पर अब वर्तमान मे अतिक्रमी द्वारा मौके पर से भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया है और वर्तमान मे उक्त चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.09.2020 के जरिये की गई दोष सिद्दी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा आधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:33:50 IST
Reason: SelfAttested

12-3-21
(मुरारी लाल शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
अति.जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner